



जमीन पर चलती शार्क, किसी भयावह साइंस फिक्शन फिल्म का दृश्य सा लगता है। पर हालिया अध्ययन में शार्क की ऐसी प्रजाति का पता चला है जो वास्तव में पानी से निकलकर करीब 30 मीटर तक सूखी जमीन पर चल सकती है और करीब दो घंटे तक ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकती है। एपोलेंट शार्क के नाम से जानी जाने वाली छोटे साइज की यह शार्क ना तो डरावनी है, ना काटती है और ना ही आपके पीछे भागती है। ऑस्ट्रेलिया तथा फ्लोरिडा एटलांटिक यूनिवर्सिटी के बायोलॉजिस्ट का कहना है कि रीफ में रहने वाली एपोलेंट शार्क की यह अद्भुत क्षमता, अत्यधिक विरोधी परिस्थितियों में सुरवाह्य करने में इसकी मदद करती है। इन्टिग्रेटिव कम्पैरेटिव बायोलॉजी जर्नल में छपे शोध का कहना है कि, आज तक के जो निष्कर्ष हैं उनके अनुसार, इस प्रजाति में, इक्कीसवीं सदी की कुछ चुनौतियों का सामना करने की क्षमता विकसित हो गई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि, जमीन पर चलना सरवाइवल की रणनीति हो सकती है और इसका कारण ना केवल शार्क का प्राकृतिक रूप से कठोर आवास है, बल्कि, एक कारण क्लाइमेट चेंज भी हो सकता है। शोध की मुख्य लेखक मैरिएन पोर्टर ने कहा कि, एपोलेंट शार्क अत्यधिक कठिन हालात में रहती हैं। तैरने के अलावा ये धीमी व तेज गति से चल सकती हैं। इनमें, भोजन के लिए अधिक अनुकूल स्थान तक पहुँचने के लिए सूखी भूमि पार करने की अद्भुत क्षमता है, जो अन्य प्रजातियों में नहीं पाई जाती। अगर हम यह जानना चाहते हैं कि क्लाइमेट चेंज के मुश्किलतम दौर में जानवरों के साथ क्या होता है, तो इस समय ऐसी परिस्थितियों में जो जानवर रह रहे हैं उन्हें समझना और यह जानना कि वो कैसे इन परिस्थितियों से निपट रहे हैं, इनके संरक्षण के लिए पहला कदम होगा। एपोलेंट शार्क 3 फीट लम्बी होती है और इनके पैडल जैसे फिन्स होते हैं, जिनकी मदद से ये समुद्र तल और सूखी धरती पर चलती हैं। ये वैस्टर्न पैसिफिक ओशन में न्युगिनी और वैस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के आसपास कोरल रीफ के बीच छिछले पानी में रहती हैं।

## ‘लोकपाल के समक्ष लंबित मामले में शुक्रवार तक कोई कार्यवाही नहीं होगी’

### राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में आश्वासन दिया

जयपुर, 19 सितंबर (का.सं.)। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आर.सी.ए.) ने नागौर व श्रीगंगानगर सहित अन्य जिला संघों की संबद्धता रद्द करने से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग दी है कि वे लोकपाल के समक्ष लंबित इस मामले में शुक्रवार तक कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे।

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आर.सी.ए. की अंडरटेकिंग के बाद इस मामले की शुक्रवार को सुनवाई तय की। अदालत ने मामले में बी.सी.सी.आई. व आर.सी.ए. से जवाब देने के लिए भी कहा है। अदालत ने आर.सी.ए. से पूछा है कि जब लोकपाल के पद पर रिटायर सुप्रीम कोर्ट जज या हाईकोर्ट के रिटायर सीजे को होना चाहिए तो उन्होंने हाईकोर्ट के रिटायर जज को लोकपाल क्यों बना रखा है। सर्वोच्च अदालत ने यह आदेश श्रीगंगानगर और नागौर जिला क्रिकेट संघों की अपील पर सुनवाई करते हुए

■ आर.सी.ए. ने यह आश्वासन नागौर व श्रीगंगानगर सहित अन्य जिला संघों की सम्बद्धता रद्द करने के मामले पर दायर याचिकाओं पर हुई सुनवाई के दौरान दिया।

■ अदालत ने आर.सी.ए. से यह भी पूछा कि, लोकपाल के पद पर सुप्रीम कोर्ट का रिटायर जज या हाई कोर्ट का रिटायर सी.जे. होना चाहिए फिर हाई कोर्ट के रिटायर जज को लोकपाल क्यों बना रखा है।

दिए। अदालत ने आर.सी.ए. को कहा कि, वे लोकपाल के पद पर हाईकोर्ट के रिटायर जज को नियुक्त करने संबंधी उनके संविधान के रूल्स भी पेश करें।

सुनवाई के दौरान जिला क्रिकेट संघों की ओर से सीनियर एडवोकेट निवेश गुप्ता व डॉ. अभिनव शर्मा ने कहा कि लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों के अनुसार लोकपाल पद पर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज या हाईकोर्ट के रिटायर

चीफ जस्टिस ही नियुक्त हो सकते हैं, लेकिन आर.सी.ए. ने लोकपाल पद पर राजस्थान हाईकोर्ट के रिटायर जज जस्टिस दिनेश चन्द्र सोमानी को नियुक्त कर रखा है। उनकी नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती दी हुई है, इसके बावजूद वे मामले की नियमित सुनवाई कर रहे हैं। इसलिए प्रार्थी जिला संघों की संबद्धता के रद्द करने के मामले में लोकपाल के समक्ष हो रही कार्रवाई पर रोक लगाई

जाए। वहीं आर.सी.ए. की ओर से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे व प्रतीक कासलीवाल ने कहा कि आर.सी.ए. के संविधान में रिटायर हाईकोर्ट जज को लोकपाल पद पर नियुक्त करने का प्रावधान है।

जिस पर अदालत ने उन्हें आगामी सुनवाई पर लोकपाल की नियुक्ति संबंधी आर.सी.ए. के रूल्स पेश करने के लिए कहा। गौरतलब है कि, आर.सी.ए. ने पिछले दिनों श्रीगंगानगर, नागौर और अलवर जिला क्रिकेट संघों की संबद्धता को निरस्त कर दिया था। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देने पर एकलपीठ ने नागौर व श्रीगंगानगर क्रिकेट संघ की संबद्धता रद्द करने पर रोक लगा दी थी, लेकिन खंडपीठ ने लोकपाल को इस मामले में निर्णय लेने की छूट दे दी थी। खंडपीठ के आदेश को जिला क्रिकेट संघों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

## दक्षिण भारत में भाजपा...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) भाजपा से बचाने के लिए कड़ा संघर्ष कर रही है।

बोम्बई ने कहा कि यह सब कर्नाटक सरकार और बैंगलुरु शहर की छवि खराब करने वाली सोची-समझी साजिश का हिस्सा है तथा इससे दोनों राज्यों के बीच के रिश्ते प्रभावित होंगे।

बोम्बई ने कहा कि ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिये। तेलंगाना के आई.टी. मंत्री के.टी. रामा राव, जो मुख्यमंत्री के. चन्द्रशेखर राव के बेटे हैं, ने भी निवेशकों पर डाले जा रहे दबाव के बारे में बोलते हुये, अधिकारियों द्वारा मॉगि गये कथिथ “कमीशन” का खुला जिक्र किया तथा कहा कि बैंगलुरु के कुछ ठेकेदारों ने यह बात खुलकर कही है।

के.टी.आर. ने दावे से कहा कि, पड़ोसी राज्य के विपरीत, तेलंगाना ने प्रोफेशनल ग्रोथ के लिये प्रगतिपूर्ण, शान्तिपूर्ण तथा अनुकूल वातावरण प्रस्तुत किया है तथा निवेशकों की सुविधा का ख्याल रखने वाली तेलंगाना सरकार निवेशकों की जरूरतों का पूरा करने के लिए तत्पर रहती है।

के.टी.आर. आई.टी. कंपनियों को हैदराबाद की तरफ आकर्षित करने के लिये, उनसे बैंगलुरु से बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर के वादा करते आ रहे हैं।

## अमरिन्दर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) छवि सिख समुदाय में भी अच्छी हो गई थी। भाजपा की सोच यह है कि कैप्टन के पार्टी में आने से प्रेरित होकर, कांग्रेस के कुछ और नेता भी भाजपा में आ जायेंगे। सुनील जाखड़, राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी तथा फतेह सिंह बाजवा सहित कई नेता तो पहले ही भाजपा में आ चुके हैं। इस प्रकार कैप्टन के भाजपा में आ जाने से भाजपा ऐसी उम्मीद कर रही है कि वह राज्य में कांग्रेस की जगह मिल जायेगी।

भगवा पार्टी में शामिल होने के

बाद, जहाँ तक कैप्टन का प्रश्न है, वे यह मान रहे हैं कि उनके परिवार का राजनैतिक भविष्य, खासतौर से उनकी पुत्री जयइन्दर कौर का राजनैतिक भविष्य सुरक्षित हो गया है, जो कैप्टन के चुनाव क्षेत्र में काम करती आ रही है।

उनके पुत्र रनिन्दर सिंह भी राजनेता हैं तथा उनके पौत्र निर्वाण सिंह भी पिछले विधानसभा चुनावों में राजनैतिक प्रचार अभियान में कूद गये थे। इस बीच, ऐसी भी चर्चाएँ हैं कि भाजपा नहीं राज्यपाल पद का दायित्व सँपने पर सोच करेगी।

## आप विधायक दुर्गेश पाठक के खिलाफ ई.डी. की जांच शुरू

नयी दिल्ली, 19 सितंबर (वार्ता)। ई.डी. ने आप के विधायक दुर्गेश पाठक को कथित नयी दिल्ली आबकारी नीति मामले में सोमवार को तलब किया। ईडी के समन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया, ईडी ने आप के एमसीडी के चुनाव प्रभारी दुर्गेश पाठक को तलब किया है। हमारे एमसीडी चुनाव प्रभारी का दिल्ली सरकार की शराब नीति से क्या लेना-देना है? क्या उनका टारगेट शराब नीति है या एमसीडी चुनाव। आप विधायक एवं पार्टी प्रवक्ता सोम भारद्वाज ने कहा कि ईडी द्वारा दुर्गेश पाठक को तलब किये जाते का मतलब है कि यह स्पष्ट है कि एमसीडी चुनाव होने वाले हैं।

जयपुर, 19 सितंबर (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने वर्ष 2018 में झालावाड़ जिले में सात साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या करने के मामले में निर्दोष युवक को फंसाने को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर मौखिक टिप्पणी की है। अदालत ने पुलिस अधीक्षक को कहा कि पहले केस में सिर्फ नौ दिन में अनुसंधान पूरा कर आरोप पत्र पेश कर दिया गया, लेकिन अब अदालती आदेश के बावजूद चार माह में भी जांच पूरी नहीं हो रही है। इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई 31 अक्टूबर को तय की है। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस अनूप ढंड ने यह आदेश दिए।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालती आदेश पर झालावाड़ एसपी अदालत में पेश हुई। उन्होंने अदालत को बताया कि प्रकरण में पुछताछ जारी है और करीब बीस संदिग्ध लोगों के डीएनए लेकर एफएएसएल में भिजवाए

## नशे में धुत पंजाब के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) (31) को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। बँस आनंदपुर साहिब विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते थे। मान निवेशकों को आकर्षित करने के लिए जर्मनी के आठ दिवसीय दौर पर थे। अधिकारियों ने उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि उन्हें अपनी कर वापसी यात्रा के कार्यक्रम में बदलाव करना चाहिए क्योंकि उनकी तबियत ठीक नहीं है। लेकिन वे एक अन्य फ्लाइट से सोमवार को दिल्ली पहुँच गए और ताजा विवाद के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए सीधे केजरीवाल के आवास पर पहुँच गए। पंजाब के आप पार्टी प्रवक्ता मालविन्दर सिंह कंग ने इससे इंकार किया कि मान को फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर शराब के नशे में पाया गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तय कार्यक्रमानुसार ही लौटे हैं क्योंकि उन्हें

रविवार रात्रि दिल्ली पहुँचना था और वे पहले ही दिल्ली पहुँच चुके हैं। कंग ने आगे कहा कि “हमारे विरोधियों का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट हमारे मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए ऐसी बेवुनियाद खबरें फैला रहा है। वे इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री मान पंजाब में निवेश लाने के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं।” अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने ट्वीट किया—“आश्चर्यजनक है कि अपने मुख्यमंत्री की इन खबरों को लेकर पंजाब सरकार मौन है। इस मुद्दे पर अरविन्द केजरीवाल को स्थिति स्पष्ट करना जरूरत है। भारत सरकार को इसमें जरूर हस्तक्षेप करना चाहिए क्योंकि इसमें पंजाब की और देश की प्रतिष्ठा निहित है। यदि उन्हें प्लेन से उतारा गया तो भारत सरकार को यह मुद्दा जर्मन सरकार के समक्ष जरूर उठाना चाहिए।”

गए हैं। इसलिए अनुसंधान पूरा करने के लिए समय दिया जाए। एसपी के जवाब से असंतुष्ट अदालत ने कहा कि “चार माह में अब तक जांच पूरी नहीं हुई, जबकि पहले नौ दिन में ही अनुसंधान पूरा कर आरोप पत्र भी पेश किया गया था। इस पर एसपी ने कहा कि उन्होंने हाल ही में पदभार संभाला है। प्रो-बेनो अधिवक्ता नितिन जैन ने बताया कि अदालत ने 11 मई 2022 को कहा था कि “हम बड़े ही भारी हृदय और न्याय की उम्मीद के साथ ऐसे अपराध के आरोपी को आजीवन कारावास में भेज रहे हैं, जो उसने किया ही नहीं है।” इसके साथ ही अदालत ने झालावाड़ एसपी को आदेश दिए थे कि वह केस का दो माह में पुनः अनुसंधान करें और जिन

प्रकार के आरोपों को फंसाने के लिए 9 दिन में जांच, अब चार माह में भी कुछ नहीं किया’

राजस्थान हाई कोर्ट ने वर्ष 2018 में सात साल की बच्ची से हुए दुष्कर्म के मामले में झालावाड़ पुलिस के कामकाज पर सख्त मौखिक टिप्पणी की

# सत्रावसान किये बिना पुनः सदन बुलाने से नाराज भाजपा विधायकों ने हंगामा किया

## स्पीकर को कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी

जयपुर, 19 सितम्बर (वि.सं.)। विधानसभा के बजट सत्र का सत्रावसान किये बिना फिर से सदन आहूत करने से नाराज भाजपा विधायकों ने सोमवार को जमकर हंगामा किया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही पूरा विपक्ष वेल में आ गया और जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। इस कारण विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) डॉ.सी.पी. जोशी ने कार्यवाही को दो बार करीब 20 मिनट के लिये स्थगित किया।

इस बीच विधानसभा में विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया और उपनेता राजेन्द्र राठीड़ के साथ स्पीकर की तीखी नोक झोंक भी हुई। जहाँ स्पीकर ने सदन को नियमों के तहत चलाने की बात की और हंगामा समाप्त करने को कहा। गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि “मुझे विधानसभा का लंबा अनुभव है। विधानसभा सत्र में हर विधायक को प्रश्न पूछने का अधिकार है। जिस जनता के हम प्रतिनिधि हैं, उसके प्रति हम अपने कर्तव्यों के पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। जो सवाल हमने लगाए थे, उन सवालों को बैन किया जा रहा है। ये एक तरह से हमारे लोकतांत्रिक अधिकार को खत्म कर देना है।”

भाजपा के विरोध में सत्तापक्ष के विधायक गोविंद सिंह डोटासरा और मंत्री बी.डी.कल्ला ने मोर्चा सम्भाला। पलटवार में कांग्रेस विधायकों ने कहा कि

■ उपनेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि, एक सत्र में प्रत्येक विधायक को 100 प्रश्न का कोटा होता है, जो कि अधिकतर विधायकों का पहले चरण में ही पूरा हो गया है, अब दूसरे चरण में वे विधायक प्रश्न नहीं पूछ पायेंगे।

भाजपा ने पूर्व में किस तरह से पांच साल का शासन चलाया है, ये सबको पता है। दरअसल भाजपा विधायक दल ने तय रणनीति के अनुसार हंगामा शुरू किया था। वहीं कांग्रेस विधायक भी विपक्ष के इस हंगामे का विरोध करने लगे। इस दौरान स्पीकर जोशी ने दोनों पक्षों को शोर-शराबे को शांत करने की अपील की, लेकिन उनकी बार-बार की अपील का भी आक्रोशित विधायकों पर कोई असर नहीं दिखा। इसके बाद स्पीकर को कार्यवाही 11 बजकर 7 मिनट पर 15 मिनट के लिये स्थगित करना पड़ा। इस बीच विपक्ष के विधायक वेल में बैठे-बैठे ही नारेबाजी करते रहे। इसके बाद फिर

## हरियाणा के सुपारी किलर को दिनदहाड़े गोलियों से भूना

### यह घटना नागौर कोर्ट के बाहर हुई, जहां सुपारी किलर संदीप सेठी पेशी पर आया था

नागौर, 19 सितम्बर (निस)। नागौर कोर्ट के बाहर सोमवार दोपहर दिनदहाड़े हरियाणा के एक सुपारी किलर संदीप सेठी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई।

हत्या के बाद कलेक्टर चौराहे पर अफरातफरी व दहशत का माहौल हो गया। पूरे शहर में सनसनी फैल गई। कोर्ट परिसर से कुछ ही दूरी पर कलेक्ट्रेट कार्यालय एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय होने के बावजूद सुरेआम दिनदहाड़े हमलावर हत्या को वादात को अंजाम देकर भाग निकले। हरियाणा का सुपारी किलर संदीप सेठी सोमवार को कोर्ट में अपने साक्षियों के साथ पेशी पर आया था। वह दोपहर करीब 1:00 बजे कोर्ट परिसर से जो ही बाहर निकला तभी उस पर हमलावरों ने गोलियां दागना शुरू कर दिया।

■ घटना को अंजाम देने के बाद हत्यारे बाइक से फरार हो गए।

■ दिनदहाड़े हुई इस घटना से कलैक्टर सर्किल पर दहशत का माहौल बन गया।

फायरिंग के दौरान संदीप सेठी के सिर में और सीने पर गोलियां दागी गईं। गोलियां लगने से संदीप सेठी मौके पर ही निहल होकर गिर पड़ा। साथ ही उसके दो साथियों के भी बीच-बचाव में गोलियां लगीं। सेठी सहित दो घायलों को राजकीय जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने सेठी को मृत घोषित कर दिया और दो गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद हाई सेंटर रेफर कर दिया। सूचना मिलने पर जिला पुलिस अधीक्षक सामूर्ति जोशी, अतिरिक्त

पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा सहित अन्य पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे।

साथ ही शहर भर में और जिले भर में नाकाबंदी भी करवाई गई। मार डेर शाम समाचार लिखे जाने तक आरोपी पुलिस के हथिये नहीं चढ़ पाये थे। पुलिस देर शाम तक सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्य खंगालती रही। फायरिंग के दौरान एक अधिवक्ता के भी हाथ पर छर्रें लगे जिनका राजकीय चिकित्सालय में उपचार करवाया गया। सीसीटीवी कैमरे में तीन हमलावर फायरिंग कर रेलवे स्टेशन चौराहे की तरफ पैदल भागते दिखाई दिये। आगे चलकर चौराहे पर पहले से ही खड़ी दो मोटरसाइकिल चालकों के पीछे बैठकर पुराना हॉस्पिटल की तरफ भाग गये।

फायरिंग की घटना को लेकर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि, नागौर अपराधियों का गढ़ बनता जा रहा है। कानून व्यवस्था पर लोगों का भरोसा उठ गया है। इस मामले में मुख्यमंत्री तुरंत जिम्मेदार अधिकारियों को निर्लंबित करें। इस मामले को आरएनपी के विधायक दमदारी से सदन में भी उठाएंगे।

## भारत जोड़ो ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) भारत जोड़ो करते हैं। “मैंने उनके काम तथा उनके सामने आने वाली कठिनाईयों को समझा।” उन मधुआरों ने राहुल को बताया कि पेट्रोल तथा डीजल की बढ़ती जा रही कीमतों तथा महंगाई से उनके काम पर बुरा असर हुआ है क्योंकि उनकी आमदनी तो बढ़ नहीं रही लेकिन उनका खर्चा बढ़ रहा है। उन्होंने राहुल से यह भी कहा कि वे अपने भविष्य को लेकर चिन्तित हैं क्योंकि शिक्षा महँगी हो गई है।

# ‘निर्दोष को फंसाने के लिए 9 दिन में जांच, अब चार माह में भी कुछ नहीं किया’

कामखेड़ा थाना इलाके में 28 जुलाई 2018 को सात साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया फिर उसकी हत्या कर दी गई थी।

पुलिस ने मामले में कोमल लोढा को गिरफ्तार करते हुए घटना के 9 दिन में ही में आरोप पत्र पेश कर दिया। वहीं पॉक्सो कोर्ट ने भी उसे 23 फरवरी 2019 को फांसी की सजा सुना दी। मामला हाईकोर्ट में आने पर पहले तो अदालत ने फांसी को आजीवन कारावास में बदला था। इस पर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रकरण हाईकोर्ट के निर्मांड करके हुए फांसी या आजीवन कारावास के संबंध में फैसला लेने का निर्देश दिया था। इस पर हाईकोर्ट ने कोमल को बेगुनाह मानते हुए उसे आजीवन कारावास में भेजते हुए झालावाड़ एसपी को केस रीओपन करने और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने को कहा था।

गौरतलब है कि झालावाड़ के

अफसरों ने केस में एक असक्षम युवा को फंसाया है, उन अफसरों पर कार्रवाई भी करें। हाईकोर्ट के सामने आई रिपोर्ट से पता चला था कि पीड़िता के कापड़ों पर दो अन्य लोगों का डी.एन.ए. मिला था। पुलिस की कार्यप्रणाली के कारण एक निर्दोष व्यक्ति जेल में बंद है।

अदालत ने झालावाड़ एसपी को 19 सितंबर को हार्डर होकर स्पष्टीकरण देने को कहा था।